FORM No- III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर(उपखण्ड अधिकारी) मुकाम जायल

बालकिशन बनाम रामचन्द्र

मु0नं0 52/2012

किस्म मुकदमा प्रार्थना–पत्र 128 एल.आर.एक्ट.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.03.2012	प्रार्थी ने जरिऐ अभिभाषक अप्रार्थीगण के विरूद्व यह प्रार्थना–पत्र राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128 के तहत पेश किया हैं। प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण का दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी हो पत्रवावली आयन्दा दिनांक 11.04.2012 को पेश हो। सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.), जायल। (नागौर) (एस. डी. ओ.) जायल (नागौर)	
11/4/12	वकील प्रार्थी उप०। अप्रार्थीगण सं० 1 से 6 की ओर से वकालतनामा वकील श्री रामनारायण चौधरी आपत्ति पेश करना चाहते है। अप्रार्थी सं० 8 स्वयं हाजिर है। अप्रार्थी सं० 7, 9 से 12 की तामील विधिवत नहीं है। इसलिए इनकी तलबी हेतु नोटिस पुनः इनके पते सहित पेश करें। पत्रावली दिनांक 30.5.12 को पेश हो। सहायक कलक्टर (एस. डी. ओ.) जायल (नागौर)	[illegible] 64 [illegible] 11.4.12 [illegible] 11/4/2012
30/5/12	वकील उभयपक्ष उप०। अप्रार्थीगण सं० 1 से 5, 6, 7 व [illegible] ने वकालतनामा वकील श्री रामनारायण चौधरी ने पेश किया 5 वा आपत्ति पेश करना चाहते है। अप्रार्थीगण सं० 9 से 12 की तलबी हेतु नोटिस तलबाना पेश हो। पत्रावली दिनांक 14.6.12 को पेश हो। सहायक कलक्टर	

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जायल (नागौर)

फर्द अहकाम राजस्व लोक अदालत अभियान

(नियम–26) न्याय आपके द्वार–2018

बालकिशन बनाम रामचन्द्र वगै

किस्म प्रकरण : राजस्व प्रार्थना पत्र मुकदमा नं. 42/2012

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशिलस जज
23.05.2018	पत्रावली आज कैम्प कोर्ट जायल में पेश हुई । पत्रावली का अवलोकन किया । प्रकरण तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी बालकिशन अन्य सहखातेदारान् की भूमि ख नं 284 रकबा 15.13 बीघा मौजा बोड़िद कलां तहसील जायल आयी हुई है। इसके दक्षिण में चिपता ही अप्रार्थीगण रामचन्द्र वगै की खातेदारी का मौजा जायल का खेत ख नं 128 रकबा 26 बीघा आया हुआ है। इसमें अप्रार्थी जयराम का नाम खतौनी में नहीं है लेकिन वो भी इस भूमि पर काश्त करता है तथा कुछ भाग पर काश्त अप्रार्थी संख्या 6 हड़मान करता है अन्य खातेदारान् का कब्जा इस खसरे पर नहीं है सिर्फ खतौनी में नाम ही है। तथा अप्रार्थीगण ने अपने खेत की उतरी माठ धीरे धीरे सरका कर प्रार्थी के खेत में डाल दी है। प्रार्थी ने दिनांक 26.02.2011 को सीमाज्ञान तहसीलदार के आदेश से पटवारी हल्का से करवाया तो प्रार्थी का खेत मौके पर कम पाया गया तथा अप्रार्थी संख्या 6 व 7 का खेत अधिक पाया गया । अप्रार्थीगण ने माठ सही स्थान पर करने का आश्वासन दिया लेकिन अब वह माठ को सही नहीं कर रहे है इसलिये नाप करके मुडाबंदी करने का निवेदन किया । अप्रार्थी संख्या 1 से 7 की ओर से वकील रामनारायण चौधरी उपस्थित हुए तथा लम्बे समय तक अवसर दिये जाने के बाद भी जबाब पेश नहीं किया। इसलिये जबाबदेही बंद की जाकर यह आदेश दिया जा रहा है अन्य अप्रार्थीगण संख्या 9 ,10 व 12 की ओर से इस्लामुदीन काजी ने वकालतनामा पेश किया तथा जबाब पेश नहीं करना चाहा। अप्रार्थी संख्या 8 व 11 बावजुद तामिल गैर हाजिर रहने से एकतरफा कार्यवाही की गई। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर सीमाज्ञान रिपोर्ट 26.02.2011 उपलब्ध है। जिसमें प्रार्थी का खेत अप्रार्थीगण के पास दबा हुआ है अतः आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार जायल मौजा बोड़िद कलां के खेत ख नं 284 तथा अप्रार्थीगण के खेत ख नं 128 मौजा जायल का नामचोप करके मुडाबंदी करवाकर पालना रिपोर्ट अविलम्ब इस न्यायलय में प्रस्तुत करे।
	उपखण्ड अधिकारी जायल, जिला नागौर

लोक अदालत शिविर ... नायब तहसीलदार

Scanned by CamScanner